FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – कंवलियास

लादूनाथ पिता भैरुनाथ जोगी
निवासी– कंवलियास

बनाम

स्नेहलता पत्नि सतीश कुमार चौधरी
निवासी– भीलवाडा

किस्म मुकदमा–. प्रार्थना पत्र आदेश–9, नियम– 13 जाप्ता दीवानी

प्रकरण संख्या– 177/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि अप्रार्थीया ने प्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उनवान स्नेहलता बनाम लादूनाथ वगैराह पेश किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या– 147/2011 थे, जो शहादत वादी ने दिनांक 23.07.2015 की तारीख में नियत था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की गैर माजूदगी में एक पक्षीय बहस सूनते हुये, वादपत्र को डिक्री कर दिया गया था, जबकि उक्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात व पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही एक वादपत्र संख्या– 597/2004 उनवान देउ बनाम मुस्मात लाडू विचाराधीन था, जिसमें अप्रार्थीगण बतौर प्रतिवादी थी। उसके उपरान्त भी अप्रार्थी ने न्यायालय को मुखालते में रखते हुये वादपत्र पेश कर कपटपूर्ण तरीके से एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली जो उक्त कृत्य वादीया का गलत होकर न्यायोचित नही है। अन्त में कथन किया कि उक्त एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किया जावें। मैनें वकील प्रार्थी को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या– 597/2004 के वाद पत्र व आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई, जिसका अवलोकन किया गया। श्रीमति देउ जोगी निवासी कंवलियास के द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 188 रा.टी.ए. का ग्राम कंवलियास की आराजी नम्बर– 1128/13, 1141/1, 2263, 2246/1122/3 को लेकर श्रीमति लाडदेवी जोगी आदि पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अप्रार्थीया श्रीमति स्नेहलता चौधरी भी बतौर प्रतिवादी संख्या– 5 स्थापित थी, जिनके द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 01.10.2013 को जवाबदावा भी प्रस्तुत किया जाना प्रकट आया है। प्रकरण की आदेशिका की	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा. जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

फोटो प्रतियॉं के अनुसार उक्त प्रकरण शाहदत वादी में दिनांक 11.07.2016 की तारीख में नियतशुदा था। उसके उपरान्त भी अप्रार्थीया श्रीमति स्नेहलता चौधरी के द्वारा इन्ही आराजीयात को लेकर लाडूनाथ वगैराह पंर एक पश्चात वृति वाद संख्या– 147/2011 अन्तर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर लोक अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास में दिनांक 24.06.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर एक पक्षीय डिक्री प्राप्त किया जाना प्रकट आया है।

चुँकि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में पुर्ववृति प्रकरण संख्या– 597/2004 में वादीगण के हक हकूकों का निर्धारण होना था, जिसकी जानकारी अप्रार्थी स्नेहलता को होते हुये भी उनके द्वारा पश्चात वृति वाद संख्या– 147/2011 दिनांक 01.06.2011 को प्रस्तुत कर निर्णित किया जाना प्रकट आया है, जो विधि विरुद्ध है, अप्रार्थीया के द्वारा सही तथ्यों को छिपाते हुये अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

"आदेश"

प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश–9 नियम–13 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या– 147/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली शूमार फैसल होकर मूल वाद संख्या– 147/2011 के साथ संलग्न रहे । आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner